



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 07.06.2026

थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सेल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 113/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस, चोरी किये हुए 03 लाख 50 हजार रुपये नगद, 94 जोड़ी पाजेब आर्टिफिसियल, 09 अंगूठी (सफेद धातु), एक चेन गले की (सफेद धातु), एक नाक की नथ (पीली धातु), 03 जोड़ी पाजेब व एक सिंगल पाजेब (सफेद धातु), घटना में प्रयुक्त 01 छैनी, एक रिन्च व 8 चाबी ताले खोलने के लिये, चोरी किया हुआ काला बैग व काला मास्क तथा घटना में प्रयुक्त गाडी स्वीफ्ट डिजायर व रुडकी जनपद हरिद्वार से चोरी किये हुए 03 कडे (सफेद धातु), 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु), एक गले का सेट आर्टिफिसियल, एक जोड़ी कान के बाले आर्टिफिसियल, बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक

30.05.2026

को थाना
बिनौली पर
वादी श्री आजाद
पुत्र बाबू निवासी
ग्राम दरकावदा
थाना बिनौली
जनपद बागपत
ने लिखित
तहरीर दी कि



अज्ञात चोर द्वारा सराय रोड बिनौली स्थिति वादी की दुकान का ताला तोड़ कर गल्ले में रखे 04 लाख 80 हजार रुपये नगद व आर्टिफिसियल पाजेब व अन्य कागजात चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 153/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 23.04.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री धर्मन्द्र पुत्र स्व० रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान की दिवार फांदकर कमरे का ताला तोडकर बक्से में रखे नगदी, जेवर, मकान की रजिस्ट्री, एलआईसी बोन्ड आदि चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 113/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सेल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 113/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस व मु०अ०सं० 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद, मु०अ०सं० 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस में चोरी किये हुए 03 लाख 50 हजार रुपये नगद, 94 जोडी पाजेब आर्टिफिसियल व घटना में प्रयुक्त एक छैनी, एक रिन्च व 08 चाबी ताले खोलने के लिये, चोरी किया हुआ काला बैग व काला मास्क तथा घटना में प्रयुक्त गाडी स्वीफ्ट डिजायर न० UP17BT-7607 बरामद हुई है। मु०अ०सं० 113/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस की घटना में चोरी की हुई 09 अंगूठी (सफेद धातु), एक चेन गले की (सफेद धातु), एक नाक की नथ (पीली धातु), 03 जोडी पाजेब व एक सिंगल पाजेब (सफेद धातु) बरामद हुई है। रुडकी हरिद्वार की चोरी से सम्बन्धित 03 कडे छोटे व बडे (सफेद धातु), 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), एक गले का सेट आर्टिफिसियल, एक जोडी कान की बाली आर्टिफिसियल बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर दोनों अभियोग में धारा 317(2)/61(2) की वृद्धि की गई है। थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 116/26 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शोएब पुत्र यामीन निवासी भैसा रोड नागर कॉलोनी कस्बा मवाना थाना मवाना जिला मेरठ उम्र- 36 वर्ष।
- 2-आफताब आलम पुत्र मन्जूर आलम निवासी मकान न० 4195 गली न० 18/3 शान्तिनगर थाना कृष्णनगर दिल्ली उम्र- 36 वर्ष
- 3-एक माहला। (शोएब का पत्ना)

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 113/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 116/26 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-205/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गंगनहर जिला हरिद्वार ।

गिरफ्तार अभियुक्त आलम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 113/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 116/26 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 205/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गंगनहर जिला हरिद्वार
- 5-मु0अ0सं0 1019/20 धारा 120(बी)/354(ए)/395/397/399/412 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।
- 6-मु0अ0सं0 1324/20 धारा 342/395/397/412 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।
- 7-मु0अ0सं0 1376/20 धारा 399/402 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।
- 8-मु0अ0सं0 1809/20 धारा 399/402 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।
- 9-मु0अ0सं-0 1810/20 3/25 आर्मस एक्ट 399/402 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।
- 10-मु0अ0सं0 309/21 धारा 2/3 गैरस्टर एक्ट थाना कविनगर जिला गाजियाबाद ।

गिरफ्तार महिला (शोहब की पत्नी) का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 113/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-205/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गंगनहर जिला हरिद्वार ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर ।
- मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस में चोरी किये हुए 03 लाख 50 हजार रुपये नगद, 94 जोडी पाजेब आर्टिफिसियल ।
- घटना में प्रयुक्त एक छैनी, एक रिन्च व 08 चाबी ताले खोलने के लिये,
- चोरी किया हुआ काला बंग व काला मास्क ।

- घटना में प्रयुक्त गाडी स्वीफ्ट डिजायर न0 UP17BT-7607 बरामद हुई है।
- मु०अ०सं० 113/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस की घटना में चोरी की हुई 09 अंगूठी (सफेद धातु), एक चेन गले की (सफेद धातु), एक नाक की नथ (पीली धातु), 03 जोडी पाजेब व एक सिंगल पाजेब (सफेद धातु) बरामद हुई है।
- रुडकी हरिद्वार की चोरी से सम्बन्धित 03 कडे छोटे व बडे (सफेद धातु), 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), एक गले का सेट आर्टिफिसियल, एक जोडी कान की बाली आर्टिफिसियल बरामद हुई है। (सम्बन्धित मु०अ०सं० 205/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गंगनहर जिला हरिद्वार)

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-सर्विलांस प्रभारी उ०नि० श्री संजय कुमार (मय सर्विलांस टीम) जनपद बागपत
- 3-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 5-है०का० 648 चौब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 6-है०का० 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 7-है०का० 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 8-का० 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 9-रि०म०का० 681 रुपाली चहल थाना बिनौली जनपद बागपत





प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 07-06-2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 121/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 121/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली ।

2-म0उ0नि0 कल्पना थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 07/06/2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने गुमशुदा महिला को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने गुमशुदा महिला को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया है।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि0अ0- अश्वनी कुमार थाना छपरौली।
- 2-म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली।
- 3.का0363 अमन शर्मा थाना छपरौली।

